प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 18.02.2025

थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 07.02.2025 को थाना वेव सिटी पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि वादी की पुत्री उम्र करीब 13 वर्ष को अभियुक्त खालिद द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाना। जिसके सम्बन्ध में तत्काल थाना वेव सिटी पर सुसंगत धारा- 137(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पीडिता की बरामदगी एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गयी। तत्पश्चात थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा मैनुअल ईनपुट व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दिनांक 13.02.2025 को पीडिता को बरामद किया गया तथा पीडिता के बयानों के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 64(2)(f)/115(2)/127(4) BNS व 5(L.N)/6 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी।

आज दिनांक 18.02.2025 को थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त खालिद पुत्र इकबाल निवासी मौहल्ला कुरेशियान कस्बा डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद को मकदूम शाह की पुलिया से कब्रिस्तान की तरफ डासना से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मेरे रिश्तेदारी में वादी की पुत्री आयी हुई थी। जिससे मैंने बातचीत करना शुरू कर दिया था। मैं वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था तथा मैंने उसके साथ गलत काम किया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पताः-

खालिद पुत्र इकबाल निवासी मौहल्ला कुरेशियान कस्बा डासना थाना वेव सिटी जनपद गाजियाबाद, उम्र 22 वर्ष।

आपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना वेव सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना वेव सिटी पुलिस टीम

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा वाहन चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

आज दिनांक 18.02.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान दौलत नगर, बिजली घर के पास चौकी क्षेत्र पुस्ता से वाहन चोर 02 अभियुक्त गण 1. अजीरुद्दीन पुत्र बबलू निवासी ग्राम पसोंडा थाना टीलामोड़ गाजियाबाद 2. नाजिम पुत्र आसमीन निवासी ग्राम पसोंडा थाना टीलामोड़ गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया तथा इनके कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। अभियुक्त गण से बरामद मोटरसाइकिल के संबंध में चोरी की FIR थाना ई-पुलिस स्टेशन MV Theft दिल्ली में पंजीकृत है

तथा अभियुक्त गण के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उक्त चोरी का वाहन बरामदगी के संबंध में धारा-317(2)/317(5) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त गण ने बताया कि हम मौका पाकर वाहनों की चोरी करते है तथा चोरी किये गये वाहन को बेचकर उनसे मिले रूपये से अपने शौक पूरे करते है। हमने ये मोटरसाइकिल कुछ दिन पहले दिल्ली से चोरी की थी। आज हम इस चोरी की मोटरसाइकिल को बेचने के लिए ले जा रहे थे कि पुलिस चेकिंग में पकडे गए।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का नाम व पता–

1. अजीरुद्दीन पुत्र बबलू निवासी ग्राम पसोंडा थाना टीलामोड़ गाजियाबाद, उम्र करीब 30 वर्ष।
2. नाजिम पुत्र आसमीन निवासी ग्राम पसोंडा थाना टीलामोड़ गाजियाबाद, उम्र करीब 26 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त गण के विरुद्ध दिल्ली में वाहन चोरी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है तथा चोरी का वाहन बरामदगी के संबंध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

दिल्ली से चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम –

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 10.11.2023 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादिया द्वारा एक तहरीर अभि0 शादाब व उसके साथियों द्वारा फुल्ट्रोन फाइनेन्स कम्पनी पता राजीव चौक दिल्ली की मदद से वादिया के प्लाट नं0 4, खसरा न0 964 रघुनाथ कालोनी, ग्राम बेहटा हाजीपुर के नाम पर जालसाजी से कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग कर फुलट्रोन कम्पनी से लोन लेने व लोन की किस्ते जमा न करने व फुलट्रोन कम्पनी के कर्म0गण व शादाब द्वारा वादिया से ही लोन चुकाने व न चुकाने पर जान से मारने की धमकी व झूठे केसों में फंसाने की धमकी देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल धारा 420/467/468/471/406/506 भादवि में अभियोग पंजीकृत किया गया। थानास्तर से वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 02 टीम गठित की गयी।

आज दिनांक 18.02.2025 को मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त शादाब पुत्र स्व0 श्री अब्दुल गनी हाल नि0 R- 34 गली न0 19 ब्रह्मपुरी थाना न्यू उस्मानपुर दिल्ली , पुराना पता – 623 आई ETC 116 ब्रह्मपुरी सीलमपुरी उत्तर पूर्वी दिल्ली उम्र 41 वर्ष को चौकी क्षेत्र गुलाव वाटिका नहर रोड से हिरासत में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मैने और मेरे साथियों द्वारा फुल्ट्रोन फाइनेन्स कम्पनी पता राजीव चौक दिल्ली की मदद से वादिया के प्लाट नं0 4, खसरा न0 964 रघुनाथ कालोनी, ग्राम बेहटा हाजीपुर के नाम पर जालसाजी से कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग कर फुलट्रोन कम्पनी से लोन ले लिया था और हमने उसकी किस्तें भी नही चुकाई थी तथा वादिया से ही लोन चुकाने व न चुकाने पर जान से मारने की धमकी व झूठे केसों में फंसाने की धमकी दी थी। अब तक में पुलिस से छुपकर रह रहा था कि आपने मुझे पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता:-

शादाब पुत्र स्व0 श्री अब्दुल गनी हाल नि0 R- 34 गली न0 19 ब्रह्मपुरी थाना न्यू उस्मानपुर दिल्ली , पुराना पता – 623 आई ETC 116 ब्रह्मपुरी सीलमपुरी उत्तर पूर्वी दिल्ली उम्र 41 वर्ष।

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान लूट/स्नैचिंग की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस, लूट की 03 सोने की चैन व घटना में प्रयुक्त फर्जी नंबर प्लेट लगी चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

आज दिनांक 18.02.2025 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत रूटीन चेकिंग में टीम बनाकर वैशाली सेक्टर 2/5 की पुलिया पर संदिग्ध वाहन एवं व्यक्तियों की संघन चेकिंग की जा रही थी तभी कुछ देर बाद 02 संदिग्ध व्यक्ति एक मोटर साइकिल पर इन्दिरापुरम की तरफ से आते दिखाई दिए। जिन्हें पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया गया तो नही रुके बल्कि ऐलीवेटेड फ्लाईओवर के नीचे नहर किनारे कच्चे रास्ते की तरफ भागने लगे। जिनका पुलिस टीम द्वारा पीछा किया गया तो कुछ दूर आगे चलकर उन दोनो संदिग्ध बदमाशों द्वारा अपने आप को पुलिस टीम से घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर करते हुए भागने लगे पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ व जवाबी कार्यवाही में एक बदमाश के पैर में गोली लगी व वहीं मोटर साइकिल गिर गई। तत्काल ही उपस्थित पुलिस टीम के द्वारा साहस का परिचय देते हुए दूसरे बदमाश को हिरासत में ले लिया गया पुलिस टीम द्वारा घायल अभियुक्त को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्त मनोज व संजय शर्मा द्वारा से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि ये दोनो अभियुक्त दिन व रात के समय चलते राहगीरो के साथ मौका देखकर चैन, मोबाइल तथा बैग लूटने का काम करने है। दोनो अभियुक्तो द्वारा थाना कौशांबी क्षेत्र में पंजीकृत अभियोग से संबन्धित 03 सोने की चैन बरामद की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों से अन्य जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. मनोज उर्फ असलम उर्फ आडे पुत्र बनवारी लाल निवासी गली नं0 19 शिवराम पार्क मंगल बाजार रोड, थाना निहाल बिहार, नागलोई (दिल्ली) उम्र करीब 35 वर्ष।
2. संजय शर्मा पुत्र राजबीर शर्मा नि0 एफ-3 शिवराम पार्क, थाना निहाल बिहार, नागलोई (दिल्ली) उम्र करीब 44 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

कब्जे से 01 तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस, लूट का 03 सोने की चैन व घटना में प्रयुक्त फर्जी नंबर प्लेट लगी चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त संजय शर्मा पुत्र राजवीर शर्मा उपरोक्त के विरुद्ध दिल्ली, गाजियाबाद एनसीआर क्षेत्र में लूट, स्नैचिंग, चोरी व चोरी का माल बरामद होने व आर्म्स एक्ट तथा गुण्डा अधिनियम आदि से सम्बन्धित डेढ़ दर्जन अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त मनोज उर्फ असलम उर्फ आडे पुत्र बनवारी लाल उपरोक्त के विरुद्ध दिल्ली, गाजियाबाद एनसीआर क्षेत्र व हरियाणा में लूट, स्नैचिंग, चोरी व चोरी का माल बरामद होने व आर्म्स एक्ट आदि से सम्बन्धित डेढ़ दर्जन अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम